

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं.-03/आ.1-245/2023/श्री मिथिलेश कुमार, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान को निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा डायट सिवान के निरीक्षण के क्रम में अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने, निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को दिए गये निदेश में व्यवधान डालने, अनुचित मांग तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार द्वारा इनके कार्यालय एवं आवास पर छापेमारी किये जाने की स्थिति में संकल्प संख्या-631 दिनांक 12.12.2023 द्वारा निलंबित किया गया।

2. विभागीय संकल्प संख्या-111100 दिनांक 06.02.2024 द्वारा श्री मिथिलेश कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

3. श्री मिथिलेश कुमार के दिनांक 31.07.2024 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के कारण आदेश संख्या-152522 दिनांक 16.08.2024 द्वारा इनहें सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2024 से निलंबन मुक्त करते हुए इनपर संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी.) के तहत सम्पूरित किया गया।

4. श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले पर भी पुनः जाँच में जाँच प्राधिकार द्वारा इसे प्रमाणित नहीं बतलाया गया है। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री मिथिलेश कुमार को आरोप मुक्त करते हुए मामले को समाप्त किया गया।

5. श्री मिथिलेश कुमार के निलंबन अवधि (दिनांक 12.12.2023 से दिनांक 31.07.2024) के वेतन-भत्ता एवं सेवा निरूपण के संबंध में निर्णय विचाराधीन था।

6. श्री मिथिलेश कुमार के निलंबन अवधि के वेतन-भत्ता एवं सेवा निरूपण के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई है और निम्नवत् निर्णय लिया गया है -

“अनुशासनिक कार्यवाही में आरोपों के प्रमाणित नहीं होने के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11(3) के आलोक में श्री मिथिलेश कुमार, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान के दिनांक-12.12.2023 से 31.07.2024 तक की निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बिताई गई अवधि मानी जाएगी” ।

7. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ.1-245/2023 i/360125 पटना, दिनांक-06/02/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक/प्रबंध निदेशक/परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री मिथिलेश कुमार, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान पत्राचार का पता- देवदुत मैशन, प्लैट सं0-202, बोरिंग रोड चौराहा, पो0-किदवईपुरी, थाना-कृष्णपुरी, जिला-पटना, पिन-800001 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

निदेशक (प्रशासन) कुमार

Date: 06-02-2026 15:55:28